व्यय कर

धारा 3 का संशोधन।

95. व्यय कर अधिनियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्यय कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (1) में, "किसी ऐसे होटल में उपगत" शब्दों के स्थान पर, "किसी ऐसे होटल में 1 जून, 2003 से पूर्व उपगत" शब्द और अंक 1 जून, 2003 से रखे जाएंगे । 1987 का 35

धारा 4 का संशोधन।

96. व्यय कर अधिनियम की धारा 4 के खंड (क) में, "इस अधिनियम के प्रारंभ से ही" शब्दों के पश्चात्, "किंतु 31 मई, 2003 के पश्चात् नहीं" शब्द और अंक 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।